मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यकारिणी की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त।

स्थान: कार्यालय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
दिनांक: 20 जुलाई, 2017 **समय:** 3:00 बजे अपराह्न।
बैठक की उपस्थिति: संलग्नक–1

सर्व प्रथम प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की आज्ञा से परिषद की कार्यकारिणी की 15वीं बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय तथा इस दिशा में कृत कार्यवाही से प्रबन्ध कार्यकारिणी को अवगत कराया जिसमें निम्न एजेंडा बिन्दु सम्मिलित थे–

मद संख्या 14.05: 15वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद में संविदा पर कार्यरत स्टाफ की संख्या को देखते हुए ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई का लाभ आवश्यक रूप से लागू की जाये। प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कर्याकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि देहरादून स्थित कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय से बात की गई, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि परिषद् में कर्मचारी भविष्य निधि नियमानुसार तभी से लागू होगा, जिस दिन से आपके संगठन में 20 कर्मचारी कार्यरत थे। इस प्रकार यह आंकलन किया गया कि वर्ष 2006–07 से ही 20 से अधिक कर्मचारी परिषद् में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत थे। इस दशा में अभी तक जो कर्मचारी परिषद् में कार्यरत था तथा अब परिषद् को छोड़ चुके हैं, उन्हें भी ई0पी0एफ0 का लाभ देना होगा, जिसके लिए परिषद् के पास पर्याप्त धन नहीं था, जिस कारण परिषद् की कार्यकारिणी द्वारा लिये गये इस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि एक बार यह पता करें कि कर्मचारी भविष्य निधि बांस एवं रेशा विकास परिषद् को किस श्रेणी में रखते हुए परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 तय कर रहा है तथा जो कर्मचारी परिषद छोड़ चुके हैं और यदि उनके वेतन/पारिश्रमिक से अंशदान की कटौती नहीं हुई है , उन्हें कैसे यह लाभ देय होगा। इस संबंध में जानकारी कर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 15.7: परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा 15वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परिषद् में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का मासिक मानदेय/वेतन वृद्धि नियत करने हेतु परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के वित्त नियंत्रक तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के परियोजना निदेशक को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाय जिसमें कर्मचारियों का पद, अनुभव एवं कार्य कुशलता को देखते हुए मासिक मानदेय/वेतन की वृद्धि की जाय। निर्णय के पालन में परिषद् में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय/वेतन वृद्धि हेतु परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के वित्त नियंत्रक तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के परियोजना निदेशक की 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा इस विषय पर दो बार बैठक की गई, जिसमें वन विभाग के वित्त नियंत्रक ने अपने मंतव्य में कहा कि वर्तमान समय में परिषद् का संगठनात्मक ढांचा शासन स्तर से स्वीकृत नहीं है। संविदा पर रखे गये सभी कार्मिकों की नियुक्ति परिषद द्वारा समय–समय पर अपनी आवश्यकतानुसार की गई है तथा उनका संविदा वेतन भी परिषद् स्तर पर ही निर्धारित किया गया है। इन कार्मिकों का मानदेय/संविदा वेतन वृद्धि भी समय समय–समय पर परिषद स्तर से ही की गई हैं। शासन स्तर पर भी परिषद् में रखे गये संविदा कार्मिकों के वेतन निर्धारण हेतु स्पष्ट

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

शासनादेश नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में परिषद् द्वारा ही इस प्रकरण में अग्रेतर निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस प्रकार गठित समिति का कोई निर्णय नहीं लिये जाने से परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूर्व की भांति सभी कार्मिको के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई। चुंकि परिषद् में कार्यरत कार्मिकों का मानदेय/वेतन वृद्धि की जानी है, इसलिए मद सं0 16.3 में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त विषय को दृष्टिगत रखते हुए बैठक के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव मद संख्याः 16.3 परिषद में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय बढ़ोत्तरी वाले प्रस्ताव पर ही चर्चा तथा निर्णय लेने का सुझाव दिया गया।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मद संख्या 15.12: प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद की 15वीं बैठक में शासन द्वारा वन विभाग के अनुदान सं0 27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के कोषागार मदों में रू0 30 लाख को बढ़ा कर रू0 1 करोड़ करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में पत्रांक 20/3ए–18 (8) दिनांक 26/04/2017 के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड को रू0 95.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन से होनी है।

परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी सदस्यों के सम्यक् विचारोपरान्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि बजट प्रस्ताव को पुनः स्मरण–पत्र के साथ वन विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मद संख्या 15.9 प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया था कि परिषद् का संगठनात्मक ढ़ांचा शासन से स्वीकृत होने पर वन विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भत्ता केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान की भांति दिया जाय। प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि परिषद् का संगठनात्मक ढ़ांचा शासन से स्वीकृत हो चुका है। अपने तर्क में उनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या– 24/8/76–का–प्रसको/1999 का उद्धरण देते हुए परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी को जानकारी दी गई कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। चूंकि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् भी बांस एवं रेशा आधारित क्रियाकलापों में काश्तकारों, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास का कार्य कर रहा है, इसलिए परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी जो एम0ओ0टी0 व टी0ओ0टी पास किया है उन्हें भी प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाना उचित होगा।

उक्त विषय पर चर्चा करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश को आधार मानते हुए उन्हीं अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति भत्ता का पात्र माना जा सकता है जो एम0ओ0टी0 व टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण हों, तदानुसार वित्तीय आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

प्रबन्ध कार्यकारिणी की 16वीं बैठक का कार्यवृत्तः

प्रस्ताव मद संख्याः 16.1 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यरिणी के अध्यक्ष को नामित करने के सम्बन्ध में।

कार्यकारिणी के सदस्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शशि कुमार दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के स्मृति–पत्र के अनुसार परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त हैं। श्री एस0राजू0 अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त के 31 जुलाई, 2016 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात यह पद रिक्त है। परिषद् के स्मृति–पत्र एवं नियमावली के अनुसार अध्यक्ष के पास नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त अधिकार निहित हैं, परिषद् के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु परिषद् के अध्यक्ष को नामित किया जाना है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा करते हुए बैठक के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा बताया गया कि वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है तथा यह पद अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पद के समतुल्य था तथा वर्तमान में इसी पद के समकक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा का गठन किया गया है, अतः आगे से परिषद् का अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष नामित करने की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मद संख्याः 16.2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचा स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख वन संरक्षक/सदस्य सचिव श्री शशि कुमार दत्त ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा 14वीं बैठक के मद स0 14.08 में अनुमोदित परिषद का संगठनात्मक ढ़ांचे पर कार्यवाही करते हुए परिषद् के पत्रांक–106/1ए/प्रबन्ध कार्यकारिणी /सं0ढ़ा0/2014–15, दिनांक 02.08. 2016 माध्यम से 22 पदों हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, इसके क्रम में शासन द्वारा 13 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा वाहन चालक तथा अनुसेवक के पदों को आउटसोर्स से भरा जाना है। स्वीकृत ढ़ांचे के क्रम सं0 4 पर प्रबन्धक, वानिकी, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण को वेतनमान 15600–39100 गेड पे 6600 रखा गया है, जो सम्भवतः टाइपिंग की गलती या गलत प्रस्तुतीकरण हो सकती है। चुंकि परिषद् द्वारा ढ़ांचे का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रबन्धकों का वेतनमान तथा ग्रेड पे एक समान प्रस्तुत किया गया था। परिषद् के ढ़ांचे के अनुसार सभी प्रबन्धकीय पदों का वेतनमान तथा ग्रेड पे में एक रूपता होनी आवश्यक है। अतः सभी अन्य प्रबन्धकीय पदों के समान प्रबन्धक, वानिकी, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण का भी वेतनमान तथा ग्रेड पे 15600–39100 ग्रेड पे 5400 रखना उचित होगा। शासन द्वारा स्वीकृत संगठनात्मक ढ़ांचे को परिषद् की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार किया जाना है तथा पदों के सापेक्ष परिषद् में संविदा पर कार्यरत अनुभवी एवं कुशल कार्मिकों का विनियमितीकरण हेतु विचार विमर्श तथा चयन समिति के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा शासन से स्वीकृत ढ़ांचे पर विस्तृत चर्चा की गई तथा प्रबन्ध कार्यकारिणी के माननीय सदस्य डा0 राजेन्द्र डोभाल, महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि परिषद् द्वारा सभी प्रबन्धकीय पदों का वेतनमान तथा ग्रेड पे का प्रस्ताव शासन को समान रूप से प्रस्तुत किया गया था तो परिषद् के ढ़ांचे के अनुसार सभी प्रबन्धकीय पदों का वेतनमान तथा ग्रेड पे एक जैसा ही होना चाहिए। बैठक के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि अन्य सभी प्रबन्धकीय पदों के समान प्रबन्धक, वानिकी, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण का भी वेतनमान तथा ग्रेड पे

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

15600--39100 ग्रेड पे 5400 ही रखा जाय, जिसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाय। प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा परिषद् में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को विनियमितिकरण करने पर भी चर्चा की गई, जिस पर बैठक के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि कर्मचारी विनियमितीकरण एक्ट 2016 पर माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा रोक लगाई गई है अतः इस अधिनियम के तहत वर्तमान में कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं हो सकता। इस पर चर्चा दौरान माननीय सदस्य डा0 राजेन्द्र डोभाल, महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा बताया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् एक स्वायत्त निकाय है, परिषद् के कर्मचारी सेवा नियमावली को तैयार कर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण सम्बन्धी नियम तैयार किये जाय, उसी नियमावली के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा सकता है।

उक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त बैठक के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि डा0 राजेन्द्र डोभाल, महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं सदस्य उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री भुवन चन्द्र, मुख्य वन संरक्षक की सहायता प्राप्त कर परिषद् की कर्मचारी सेवा नियमावली तैयार करें तथा कर्मचारियों का नियमितिकरण **हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को प्रेषित करें।**

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मद संख्याः 16.3 परिषद में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का मानदेय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

प्रमुख वन संरक्षक/सदस्य सचिव श्री शशि कुमार दत्त ने अवगत कराया कि परिषद में कार्यरत कार्मिकों का मासिक मानदेय में पिछले छः वर्षो में मात्र 3 बार 5–5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है, जो अन्य संथाओं एवं विभागों के सापेक्ष काफी कम है। इसके अलावा इन कार्मिको को किसी प्रकार का भत्ता भी देय नहीं हैं। इसी कारण से पिछले छः वर्षो में परिषद से 60 प्रतिशत से भी अधिक संविदा कर्मी परिषद को छोड़ चुके हैं, इस कारण परिषद के कार्य बाधित हुए हैं। परिषद् की 15वीं बैठक में परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा संविदा कार्मिकों का मानदेय पुनरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिस पर समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिस कारण परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूर्व की भांति कार्मिकों के वेतन में मात्र 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई जो काफी कम है। चुंकि कार्य अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर कई कार्मिकों का मासिक मानदेय में बढोत्तरी की आवश्यकता है। अतः कार्य अनुभव, एवं पद के अनुरूप इन संविदा कर्मियों के वर्तमान मानदेय में 10 से 30 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, जिसको कार्मिकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए परिषद् मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। मानदेय में की गई वृद्धि माह अप्रेल, 2017 से प्रभावी होगी।

प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए परिषद् के प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया तथा बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिषद् के अन्तर्गत संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का मानदेय/संविदा वेतन में सुधार एवं वृद्धि करने हेतु दो सदस्यीय समिति जिसमें डा0 राजेन्द्र डोभाल, महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं सदस्य उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री भुवन चन्द्र, मुख्य वन संरक्षक देहरादून को निर्देशित करते हुए कहा गया कि वे परिषद् में कार्यरत संविदा कर्मियों का पद, अनुभव, एवं कार्य कुशलता का मूल्यांकन करते हुए कर्मचारियों का मानदेय/संविदा वेतन वृद्धि की संस्तुति करें तथा साथ ही आगे भी वार्षिक तौर पर वेतन वृद्धि सम्बन्धित नीति तैयार कर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत करें।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(एस. रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

मद संख्याः 16.4 प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए स्थान का चयन।

प्रदेश में व्यवसायिक रूप से उपलब्ध हिमालयन नेटन, औधोगिक भांग तथा भीमल के रेशे में रोजगार की सम्भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद् द्वारा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत रिंगाल एवं प्राकृतिक रेशा आधारित उद्यम विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने हेतु "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर नेचुरल फाईबर" की स्थापना एक मुख्य गतिविधि के रूप में है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध वानस्पतिक रेशों के प्रारम्भिक प्रसंस्करण से लेकर अन्तिम उपयोग सम्बन्धी जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, जिससे कि इस क्षेत्र में जुड़े काश्तकार, बुनकर, उद्यमी, शोधकर्ता आदि लाभान्वित हो सके।

उक्त सेन्टर की स्थापना हेतु कम से कम 3000 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता है, जिसको वन विभाग/सरकार या सरकारी प्रतिष्ठानों के अधीन उपलब्ध भूमि को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा प्राकृतिक रेशे हेतु "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर नेचुरल फाईबर" की स्थापना हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने हेतु Centre of Excellence की स्थापना के लिए बैम्बू बोर्ड स्थान चयन का सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को प्रस्तुत करेगा, तदानुसार ही प्रस्ताव का परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वन विभाग

मद संख्याः 16.5 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 4,50,89,589.50 था तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 2,19,35,272 की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 6,70,24,861.50 की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2014–15 में रु. 3,10,03,089/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2015 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू0 3,60,21,772.50/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2014–15 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 3,60,21,772.50 था तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 2,23,16,191 की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 5,83,37,963.50 की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2015–16 में रु. 2,73,75,040.97/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2015 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू0 3,09,71,772/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2015–16 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

उक्त का संज्ञान लिया गया।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

मद संख्याः 16.6 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से सहायतित "रिंगाल एवं प्राकृतिक रेशा आधारित उद्यम विकास परियोजना" की स्वीकृति के सम्बन्धा में।

प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बताया गया कि परिषद द्वारा रिंगाल तथा प्राकृतिक रेशा पर आधारित आजीविका सम्बर्द्धन करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत रू0 142.09 लाख का तीन वर्षीय परियोजना प्रस्ताव जमा किया गया था, जो उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति से स्वीकृति हो चुका है। अभी तक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति से परिषद् को प्रथम वर्ष का बजट रू0 39.56 लाख प्राप्त हो चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन 3 जनपदों के 08 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें मोरी, पुरोला, भटवाड़ी, डूण्डा (उत्तरकाशी), देवाल, घाट तथा दशोली (चमोली) कपकोट (बागेश्वर) सम्मिलित हैं।
परियोजना के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में आधारभूत सर्वेक्षण/रिसोर्स आंकलन, हिमालयन कण्डाली तथा अन्य वानस्पतिक रेशों का संग्रहण तथा प्रारम्भिक प्रसंस्करण कर कपडा तैयार करना, हिमालयन नेटल के रिसोर्स बढ़ाने हेतु बीज की बुआई, रिंगाल तथा रेशें में हस्तशिल्पियों/बुनकरों का कौशल सम्बर्द्धन करना, हिमालयन कण्डाली के प्रारम्भिग प्रसंस्करण को सरल बनाने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य करना, प्राकृतिक रेशा आधारित सेन्टर ऑफ एक्सीलैन्स की स्थापना करना तथा रिंगाल तथा प्राकृतिक रेशे से तैयार उत्पादों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना इत्यादि है। **कार्यकारिणी द्वारा तद्नुसार उक्त का संज्ञान लिया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत योजना के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।**

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मद संख्याः 16.7 हिमालयन कण्डाली के प्रसंस्करण को मानकीकरण पर अनुसंधान एवं विकास कार्य।

प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बताया गया कि परिषद् द्वारा हिमालयन कण्डाली के प्रसंस्करण को मानकीकरण करने हेतु विगत वर्षो में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कई अनुसंधान एवं विकास कार्य किये गये, जिसमें प्राम्भिक तथा द्वितीय प्रसंस्करण प्रणाली को सरल बनाने में कुछ हद तक मद्द मिली है। लेकिन अभी भी प्रसंस्करण को मानकीकरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इस विषय को केन्द्रित करते हुए परिषद् तथा जूट एवं रेशा तकनीकि विभाग, कोलकत्ता विश्वविधालय द्वारा वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परियोजना का कुल बजट रू0 80.60 लाख है, जिसमें मंत्रालय के मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को भी 18.72 प्रतिशत का अंशदान करना है, इस अंशदान को वर्तमान में संचालित परियोजनाओं जैसे– उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से सहायतित "रिंगाल एवं प्राकृतिक रेशा आधारित उद्यम विकास परियोजना" तथा कैम्पा उत्तराखण्ड से किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत हिमालयन नेटल के रेशे को रेटिंग (retting), डिगमिंग (degumming), सोफ्टनिंग (softening), तथा मौजूदा मशीनों (existing machines) में सुधार लाना तथा इस रेशे से बाजारोन्मुख उत्पादों को तैयार करना है।

उक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अंशदान किस प्रकार किया जायेगा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया।

मद सं 16.8 परिषद् में वन विभाग के माध्यम से आउट सोर्स पर रखा गया श्रम शक्ति के सम्बन्ध में।

प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा जानकारी दी गयई कि परिषद् में आउट सोर्स पर 01 वाहन चालक, 02 अर्दली तथा 02 खलासी रखे गये थे, जिनका पारिश्रमिक माह मई, 2017 तक वन विभाग द्वारा सीधे तौर पर किया गया। प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन से प्राप्त पत्र के अनुसार आगे से उक्त श्रम

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

शक्ति का पारिश्रमिक भुगतान परिषद् द्वारा स्वयं किया जाना है। जिसके लिए परिषद् द्वारा बजट प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन को भेज दिया है। चूंकि आउट सोर्स की सेवा देने वाली संस्था मै0 गर्ग कॉन्ट्रेक्टर सर्विसेज द्वारा माह जून 2017 का श्रम शक्ति का पारिश्रमिक दे दिया गया था, इसलिए परिषद् द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल रू0 61,184.00 का भुगतान कर दिया गया है। माह जुलाई, 2017 से परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड शासन के प्रोक्योरमेंट नियमों के अनुसार उक्त श्रम शक्ति को आउट सोर्स पर रखा जाना प्रस्तावित है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी की चर्चा करते हुए, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री भुवन चन्द्र, वन संरक्षक, देहरादून द्वारा बताया कि लेखा परीक्षक द्वारा इस प्रकार के भुगतान पर आपत्ती की गई है तथा सुझाव दिये गये हैं कि श्रम शक्ति जहां पर काम कर रही है, उनके पारिश्रमिक का भुगतान भी वहीं से होना चाहिए। इस पर श्री शशि कुमार दत्त, प्रमुख वन संरक्षक/पदेन सचिव उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बताया गया कि इस प्रकार अचानक सेवाऐं बन्द नहीं की जा सकती, साथ ही परिषद् के पास इस श्रम शक्ति को भुगतान हेतु किसी प्रकार का बजट उपलब्ध नहीं है।

इस विषय को मध्यनजर रखते हुए बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के पारिश्रमिक का वन विभाग के माध्यम से भुगतान के संबंध में वन विभाग की आपत्तियों का निराकरण कर सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक, वित्त एवं नियोजन को प्रस्तुत किया जाय तथा आपस में विचार–विमर्श कर निस्तारण किया जाये।

कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उक्त प्रस्ताव के अलावा बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्न निर्देश दिये गये–

1. बांस आधारित फर्नीचर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी एक या दो स्कूलों में पाईलट की तौर पर स्कूल फर्नीचर उपलब्ध कराऐं इसके लिए सम्बन्धित विभाग को बजट प्रस्ताव तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।
2. डा0 राजेन्द्र डोभाल महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं सदस्य उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा भांग की खेती को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, इस विषय पर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा बताया गया कि भांग की खेती करने हेतु शासन का आदेश ही काफी नहीं है इसके साथ–साथ भांग की खेती या अनुसंधान करने हेतु नार्कोटिक्स विभाग से इसकी विधिवत तौर पर स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा इस दिशा में परिषद् को कार्य कारे हेतु निर्देश दिये।
3. बांस एवं रिंगाल आधारित कूड़ादान को नगर पालिकाओं के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु परिषद् गम्भीरता से कार्य करें, इसके लिये शासन स्तर पर एक बैठक कर ली जाय, जिससे कि सम्बन्धित नगर पालिकाओं को निर्देशित किया जा सके।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्री भुवन चन्द्र, वन संरक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि 3 साल पूर्व मसूरी वन प्रभाग द्वारा धनौल्टी में एक बांस गृह निर्माण हेतु रू0 36.00 का बजट दिया गया था लेकिन उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा गृह निर्माण को अभी तक पूर्ण नहीं किया। जिस पर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा बताया गया कि गृह निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकों शीघ्रताशीघ्र कार्य कर लिया जायेगा। इस पर बैठक के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. बैठक के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा बताया गया कि बांस को कृषि एवं औधानिकी में पौली हाऊस पौली टनल इत्यादि में काफी सम्भावनाऐं हैं जिसके लिए परिषद् को उन विभागों के साथ समन्वयन कर बांस आधारित पौली हाऊस तथा पौली टनल को लगाने की संभावनओं पर कार्य करें।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

6. बैठक के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये कि बांस के गजीबो को तैयार करने हेतु एम0डी0डी0ए0 से सम्पर्क करें तथा सचिवालय परिसर में भी बांस गजीबों तैयार किये जाने हैं इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें।
7. बैठक के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि बांस एवं रेशा आधारित उत्पादों को गुणवत्ता प्रदान करने हेतु नवीनतम तकनीकि का उपयोग किया जाय जिसके लिए रिसर्च एवं तकनीकि संस्थानों से समन्वयन कर कार्य को आगे बढ़ाया जाय।

2/11/35

(शशि कुमार दत्त)
प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

S. K. DUTT, IFS
PCCF/Chief Executive Officer
Uttarakhand Bamboo & Fiber Development Board
Indira Nagar, Forest Colony, Dehradun (Uttarakhand)

अनुमोदित

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यकारिणी की 16वीं बैठक की उपस्थिति

बैठक का स्थान:– बैठक कक्ष मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

दिनांक:– 20 जुलाई, 2017

क्रम स0	अधिकारी का नाम	पद नाम तथा विभाग/संस्था	हस्ताक्षर
1	एस. टि. सुलोचना	प्र० नि० उ०व० वि० निगम	[signature]
2	राजेन्द्र डोभाल	महानिदेशक UCOST	[signature]
3	भुवनचन्द्र	मुख्य वनसंरक्षक, शिवालिक	[signature]
4	विजय कुमार पसबोला	कार्यक्रम प्रबन्धक- कृषि एवं उद्यान, UGVS-IFAD	[signature]
5	आशुतोष शुक्ला	अ० सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन	[signature]
6			
7			
8			
10			
11			
12			
13			